

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
 प्रकरण क्रमांक 199 निगरानी 149 PAR/99

- ११॥ कच्छेदीलाल पुत्र वंदी,
 १२॥ पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह,
 १३॥ राधिका प्रताप पुत्र गोरेलाल,
 समस्त निवासीगण-बड़ागाँव, तेहसील व
 जिला-पन्ना म०प्र० — प्रार्थीगण

बनाम

1. अरुण कुमार पुत्र रामकृपाल शुक्ला,
2. रामलखन पुत्र भैयालाल,
 निवासीगण-बड़ागाँव तेहसील व जिला
 पन्ना मध्यप्रदेश
3. मध्यप्रदेश शासन

— प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959
 विरुद्ध आदेश दिनांक 28/10/98 न्यायालय अपर बन्दोवस्त आयुक्त
 मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 82/अ/92-93 द्वितीय अपील
 एवं आदेश दिनांक 23/6/93 पारित द्वारा श्रीमान् बन्दोवस्त
 अधिकारी, पन्ना के प्रकरण क्रमांक 307/अ/94/92-93 अपील तथा
 आदेश दिनांक 17/2/93 श्रीमान् सहायक बन्दोवस्त अधिकारी, पन्ना
 दल क्रमांक 2 का प्रकरण क्रमांक 65/2/अ-64/92-93 में पारित
 आदेशों के विरुद्ध .

श्रीमान् महोदय,

निगरानी के स्क्षेप तथ्य इस प्रकार हैं :-

११॥ यह कि, प्रार्थीगण के स्वत्व, स्वाभित्व छठ की भूमि सर्वे नम्बर

....2

क्रमांक 149
 दिनांक 14/9-10/11/99
 श्री. आर. ए. शर्मा
 व. नि. मा. ए. ड. आ. व. दिनांक 27/1/1999
 को प्रस्तुत
 राजस्व मन्त्र म. व. ग्वालियर

27 JAN 1999


Sharma
 (RL Sharma Ad)

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 149-अध्यक्ष/99

जिला-पन्ना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिप्रेत आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|--|--|
| 9.03.16 | <p>आवेदक के अधिवक्ता एवं आवेदक को समय समय पर अवाज लगवाई गई। उसके बाद भी वह उपस्थित नहीं हुये । अतः आवेदक के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।</p> | <p> सदस्य</p> |